12/10/22	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित पक्षकार [illegible] 23/11/22 को [illegible]
23/11/22	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित पक्षकार [illegible] 14/12/22 को पेश हो।
14/12/22	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित पक्षकार उप. हे। मौका पर अतिक्रमण की रिपोर्ट [illegible] पत्रावली दिनांक 13/1/23 को पेश हो।
13/1/23	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार उपस्थित उप. हे। मौका रिपोर्ट प्राप्त है, परीक्षण है। उदय सूनी गई। फैसले हेतु पत्रावली दिनांक 15/2/23 को पेश हो।
15/2/23	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार उपस्थित उप. हे। पैरोकार उपस्थित की बहस सुनी गई व मौका रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। मौके पर किना 5 फीट 0.54 है। अभी

1.2.22

फर्द फैसला

वनाम

/20

आदेश किस प्रकार का है

[illegible] रोड पर स्थित है, जो खातेदारी है। [illegible] नकशा 5 फीट, 5 फीट, 66 फीट रोड में अटेच है और कमरा जो उसके दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि अतिक्रमण प्रतीत में नहीं की जा रही है। अतः प्रा. पक्ष को खोकर सरकार साबित नहीं कर पाए अतः उसके खारिज किया जाता है, एवं तहसीलदार को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का पुनः मौका - मुआयना कर विधानानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली वाद तब्दील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)